23.01.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी श्री मोहब्बतसिंह देवडा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक से चार अनुपस्थित। प्रार्थी ने फॉर्म नं. 03 के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, जो शामिल मिसल किए गए। अप्रार्थी संख्या एक से चार बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित होने से इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी पर अधीनस्थ न्यायालय में सांठ–गांठ करने का गलत आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं देकर दिनांक 17.10.2022 को निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 2022(2) DNJ (Rev.) Page No. 1240 Jagjeet singh V/s Shyamsingh Shekhawat, 2021(2) RRT Page No. 1039 Lokendra Kunwar V/s Add. Div. Commissioner, R.R.D. 2012 Page No. 376 Shushil V/s Karan Singh Gothwal & ors. And R.R.D. 2012 Page No. 599 Rustam Ali & ors. V/s Karan singh Gothwal &ors. के अवलोकन

Bell/co
जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 2............

Scanned with CamScanner

करने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा दिनांक 04.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 72/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.10.2022 को निर्णय पारित किया गया। चूंकि अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाए जाने से प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थी द्वारा किया गया यह कथन सही है कि अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा प्रार्थी पर अधीनस्थ न्यायालय में मिले होने एवं सांठ-गांठ करने के आरोप लगाए गए थे, परन्तु इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 72/2022 में निर्णय पारित करते समय उक्त आरोपों को नजर अंदाज करते हुए केवल अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा किए गए निवेदन पर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.10.2022 के आधार पर ही प्रकरण संख्या 72/2022 में निर्णय पारित किया गया था। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा किए गए निवेदन को ही स्वीकार किया गया था, न कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया था। अतः ऐसी स्थिति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरें इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner